(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 20 / 2019

बउनवान

मथुरालाल पुत्र श्योनारायण आयु 62 वर्ष जाति नाथ निवासी कोटडी तहसील छबडा
(अपीलांट)

बनाम

1. घासीलाल आयु 52 वर्ष पुत्र कजोड बैरवा निवासी कोटडी तहसील छबडा जिला बारॉ
2. मोहनलाल आयु 45 वर्ष पुत्र कजोड बैरवा निवसी कोटडी तहसील छबडा जिला बारॉ
3. छीतरलाल आयु 60 वर्ष पुत्र दौल्या बैरवा निवसी कोटडी तहसील छबडा जिला बारॉ
4. प्रहलाद आयु 47 वर्ष पुत्र दौल्या बैरवा निवासी कोटडी तहसील छबडा जिला बारॉ
5. किशनलाल आयु 65 वर्ष पुत्र काल्या बैरवा निवासी कोटडी तहसील छबडा
6. लाल्या आयु 50 वर्ष पुत्र काल्या बैरवा निवासी कोटडी तहसील छबडा जिला बारॉ

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या :– राजस्व / धारा 183 (बी) / 2019 / 1 / 537–40 में पारित आदेश दिनांक 18.10.2019 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 (बी)

उपस्थित :– 1– श्री महेश प्रकाश गौत्तम अभिभाषक (अपीलांट)
2– श्री सत्यनारायण मीणा अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 17.01.2020

अपीलांट द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक अपील इस न्यायालय मे तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या राजस्व / धारा 183(बी) / 2019 / 1 / 537–40 में पारित आदेश दिनांक 18.10.2019 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 (बी) तहत पारित आदेश के विरूद्व रेस्पोडेन्ट के प्रस्तुत की गई।

इस पर प्रस्तुत अपील को दिनांक 13.12.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक उपस्थिति दी गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर, प्रकरण मे अन्तिम बहस उभयपक्ष के अभिभाषक की सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि प्रकरण मे रेस्पो0 घांसी, मोहन, छीतर, प्रहलाद, किशनलाल, लाल्या के खाते विवादित भूमि पूर्वजो कजोड, दोल्या, काल्या पुत्र गोपी के विरासत मे दर्ज हुई है। रेस्पो0 के पूर्वजो कजोड, काल्या, दोल्या, से रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 19.5.1971 को अपीलांट ने खरीद की थी, तभी से लगातार काबिज क्रेता चला आ रहा है, जिसका वाद धारा 88,89,91,188 राज0टी0एक्ट सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा के यहॉ जैरकार है, धारा 42

राज0टी0एक्ट के प्रावधान विधि एवं तथ्यों के अधीन होने से विक्रय पत्र दिनांक 19.5.1971 का विधिवत निर्णय उपखण्ड अधिकारी छबडा के द्वारा वाद मे ही पक्षकारान की साक्ष्य के बाद किया जावेगा। इस बाबत न्याय निर्णय आर.बी.जे. 2017 पृष्ठ 185 अपीलांट ने पेश किया है। धारा 183 (बी) की कार्यवाही मे ऐसे प्रश्नो का निर्धारण संक्षिप्त विचारण द्वारा नही किया जा सकता। वैसे भी कार्यवाही 183 (बी) मे पोषणीय नही है, अपीलार्थी अतिक्रमी नही है कार्यवाही अवधि बाहर है। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा पारित निर्णय 18.10.2019 निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत पारित किया गया है जिसमे किसी भी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही की गई है। अपीलांट द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जाने हेतु निवेदन किया गया।

मेरे द्वारा प्रकरण मे उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई, पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या राजस्व/धारा 183(बी)/2019/1/537–40 में पारित आदेश दिनांक 18.10.2019 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं सम्पूर्ण अधीनस्थ न्यायालय की सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। प्रकरण मे अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत चस्पा नही होते है।

परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार ना किया जाकर अपील खारिज की जाती है। तहसीलदार छबडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.10.2019 को यथावत रखते हुए, तहसीदार छबडा को निर्देशित किया जाता है कि इस प्रकरण मे यदि प्रश्नगत भूमि का दो पृथक–पृथक वर्गो द्वारा जर्ये पंजीकृत दस्तावेज क्रय–विक्रय किया गया है तो उक्त दस्तावेज का अवलोकन/परीक्षण कर धारा 175 आर.टी.ए. की कार्यवाही नियमानुसार अमल मे लाये। यह निर्णय उक्त धारा 175 आर.टी.ए. की कार्यवाही के निष्कर्षो के अध्यधीन रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2020 को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2020.02.03 13:52:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: